तटस्थ उद्धरण 2010: सीजीएचसीः 3145

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रंमाक (सिविल) 2461/2010

याचिकाकर्ता : शांता बाई

बनाम

उत्तरदातागण : भुनेश्वरी साहू एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26 जुलाई, 2010 को आदेश की उद्घोषणा हेतु सूचीबद्ध करें।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रंमाक (सिविल) 2461/2010

याचिकाकर्ता : शांता बाई

बनाम

उत्तरदातागण : भुनेश्वरी साहू एवं अन्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत रिट याचिका

एकल पीठः माननीय न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री

उपस्तिथि: श्री सुनील साहू, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता.

श्री दीपक जैन, उत्तरदाता क्रंमाक 1 के अधिवक्ता.

श्री एन. एन. रॉय, राज्य के पैनल अधिवक्ता.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(26 जुलाई, 2010 को प्रदत्त)

पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

1. इस याचिका में चुनौती दिनांक 05.05.2010 के आदेश (अनुलग्नक पी/1) को दी गई है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ पंचायत (चुनाव याचिकाएं, भ्रष्ट आचरण और सदस्यता से निरर्हता) नियम, 1995 (*संक्षेप में 'नियम, 1995'*) के नियम 3(2) के प्रावधानों के तहत दायर याचिकाकर्ता के आवेदन को, चुनाव याचिका को सिरे से खारिज करने हेड को खारिज कर दिया गया था।

2. इस मामले में शामिल विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए सुसंगत निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को 03.02.2010 को ग्राम पंचायत कोनारी,

पुलिस थाना और तहसील पलारी, जिला रायपुर के सरपंच के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया था। उसी तारीख को उस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया गया था (अनुलग्नक पी/2)। प्रत्यर्थी क्रमांक 1 ने व्यथित होकर, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (*संक्षेप में, अधिनियम, 1993*) की धारा 122(1) के प्रावधानों के तहत 15.02.2010 को अनुविभागीय अधिकारी, बलौदा बाजार, रायपुर, (चुनाव न्यायाधिकरण) के समक्ष एक चुनाव याचिका प्रस्तुत की। नियम, 1995 के नियम 7 के प्रावधानों के तहत 500/- रुपये की अपेक्षित सुरक्षा राशि बाद में 17.02.2010 को जमा की गई। याचिकाकर्ता (प्रतिवादी संख्या 1) ने नियम, 1995 (अनुलग्नक पी/4 और पी/5) के नियम 3(2) के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें इस आधार पर चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग की गई कि याचिकाकर्ता को दी गई प्रति विधिवत सत्यापित नहीं थी और प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर नहीं थे। इसके अलावा, इसके समर्थन में एक हलफनामा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। दूसरा, इस आधार पर कि चुनाव याचिका प्रस्तुत करते समय नियम, 1995 के नियम 7 के प्रावधानों के तहत सुरक्षा राशि जमा नहीं की गई थी। चुनाव न्यायाधिकरण ने 05.05.2010 को उक्त आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया कि यदि सुरक्षा जमा चुनाव याचिका प्रस्तुत करने के बाद निर्धारित सीमा अवधि के भीतर जमा कर दी गई है, तो यह नियम, 1995 के नियम 7 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 (यहाँ याचिकाकर्ता) को प्रदान किए गए दस्तावेजों की प्रतियों के सत्यापन के संबंध में, यह पाया गया कि याचिका का विधिवत सत्यापन किया गया था और प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए गए थे। अतः, यह याचिका प्रस्तुत की गयी हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील साहू ने प्रस्तुत किया कि चुनाव याचिका की योजना चुनाव याचिका प्रस्तुत करते समय सुरक्षा शुल्क जमा करने पर विचार करती है। निस्संदेह, चुनाव याचिका 15.02.2010 को प्रस्तुत की गई थी और सुरक्षा जमा 17.02.2010 को की गई थी, न कि चुनाव याचिका प्रस्तुत करने के समय। देरी घातक थी। चुनाव याचिका पर नोटिस 16.02.2010 को जारी किया गया था (अनुलग्नक पी/2) जब सुरक्षा जमा नहीं की गई थी, तो न्यायाधिकरण को याचिकाकर्ता और अन्य को 16.02.2010 को नोटिस जारी करने से पहले 15.02.2010 की याचिका की जांच करनी चाहिए थी। नोटिस प्राप्त होने पर, याचिका को प्रारंभिक चरण में ही खारिज करने के लिए नियम 1995 के नियम 7 के उपनियम (3) के प्रावधानों के तहत तुरंत आवेदन किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1 (चुनाव याचिकाकर्ता) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक जैन ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी तर्क दिया कि चुनाव याचिका 15.02.2010 को दायर की गई थी और सुरक्षा राशि 17.02.2010 को, सीमा अवधि के भीतर जमा कर दी गई थी। याचिका में कोई गंभीर दोष नहीं है। इस मामले में, सुरक्षा राशि जमा करने के बाद ही याचिका पर संज्ञान लिया गया था। इस मामले में कोई बल नहीं है और यह खारिज किए जाने योग्य है।

5. इस न्यायालय के समक्ष इस याचिका में याचिका के प्रत्येक पृष्ठ पर सत्यापन या सत्यापन न होने और हस्ताक्षर न होने के संबंध में कोई चुनौती नहीं है। अतः, चुनाव याचिका नियम, 1995 के नियम 8 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया खारिज किए जाने योग्य है।

6. मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, याचिका के साथ संलग्न अभिवचनो और दस्तावेजों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव न्यायाधिकरण ने 16.02.2010 को एक नोटिस जारी किया (अनुलग्नक पी/3) जिसमें वर्तमान याचिकाकर्ता सहित प्रतिवादियों को सूचित किया गया कि सुनवाई की तारीख 15.03.2010 तय की गई है। बेशक, 15.02.2010 को चुनाव याचिका प्रस्तुत करने के समय कोई सुरक्षा जमा नहीं किया गया था। इस प्रकार, 15.02.2010 को नोटिस जारी करके संज्ञान लेने से पहले, नियम 7, 1995 के प्रावधान जो प्रकृति में आज्ञापक हैं, का अनुपालन नहीं किया गया था। इस प्रकार, नियम 7, 1995 के प्रावधानों के अनुपालन की कमी के कारण, याचिका को नियम 8, 1995 के प्रावधानों के तहत खारिज किया जाना आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. नियम, 1995 के नियम 7 और 8 इस प्रकार हैं:

> "7. **प्रतिभूति राशि जमा करना** -- चुनाव याचिका प्रस्तुत करते समय, याचिकाकर्ता निर्दिष्ट अधिकारी के पास पांच सौ रुपये की राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा। जहां एक से अधिक अभ्यर्थियों का निर्वाचन प्रश्नगत हो, वहां प्रत्येक निर्वाचित अभ्यर्थी के लिए समान राशि की पृथक जमा राशि अपेक्षित होगी।
>
> **8. याचिका प्राप्त करने की प्रक्रिया** -- यदि नियम 3 या नियम 4 या नियम 7 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है, तो याचिका को निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा खारिज कर दिया जाएगा:

बशर्ते कि इस नियम के तहत याचिकाकर्ता को सुनवाई

का अवसर दिए बिना याचिका खारिज नहीं की जाएगी।"

8. इस याचिका में इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिभूति राशि सीमा अवधि के भीतर जमा की है या उससे आगे, क्योंकि चुनाव याचिका का संज्ञान प्रतिभूति राशि जमा करने से पहले लिया गया था।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय द्वारा दिए गए **संतोष (श्रीमती) बनाम अपर कलेक्टर, कोरबा एवं अन्य**[1] के मामले में दिए गए तर्क इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते क्योंकि उस मामले में, नियम 1995 के नियम 7 के प्रावधानों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया था क्योंकि चुनाव याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका दायर करते समय जमानत राशि जमा नहीं की थी। बाद में, उन्होंने अपेक्षित जमानत राशि 500 रुपये के बजाय केवल 50 रुपये ही जमा किए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. नियम, 1995 तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य द्वारा बनाए गए थे। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राज्य से अलग होने के बाद इस राज्य द्वारा इन नियमों को अपनाया गया है। नियम, 1995 का नियम 7 आज्ञापक है या निर्देशात्मक, यह प्रश्न **बाबूलाल कालूराम किरार एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य**[2] मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष विचारार्थ आया था, जिसमें यह कहा गया था कि "अटूट निष्कर्ष यह है कि नियम 7 का प्रावधान आज्ञापक है"।

[1] 2009 (II) MPJR-CG 15

[2] 1985 MPLJ 411

इसके बाद, **रवि ठाकुर बनाम शिव शंकर पटेल एवं अन्य**[3] के मामले में इस मुद्दे पर विचार किया गया, विद्वान न्यायाधीश ने **कैलाश नारायण बनाम नामदार एवं अन्य**[4] के मामले का हवाला देते हुए कहा कि "सुरक्षा निधि सीमा अवधि के भीतर जमा की जा सकती है और यदि सुरक्षा निधि जमा करने से पहले संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो चुनाव याचिका में घातक दोष आ जाएगा।"

11. **चरण लाल साहू बनाम नंदकिशोर भट्ट एवं अन्य**[5] मामले में, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1951) की धारा 117 के तहत प्रदान की गई सुरक्षा जमा राशि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन आई, जिसमें यह निम्नानुसार टिप्पणी की गई थी:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि वाद अभी शुरू नहीं हुआ है; अधिनियम की धारा 117 केवल निर्देशात्मक है, आज्ञापक नहीं है और 2,000 रुपये की जमा राशि केवल चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान होने वाले खर्चों को सुरक्षित करने के लिए है, इसलिए इसका पालन न करने पर याचिका को खारिज करना एक दंड है जो अधिनियम की धारा 118 के तहत निर्धारित दंडों में से एक नहीं है। उच्च

[3] 1997 (I) JLJ 89

[4] 1996 JLJ 391

[5] (1973) 2 SCC 530

न्यायालय ने इन सभी तर्कों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अधिनियम की धारा 117 के तहत चुनाव याचिका दायर करते समय याचिकाकर्ता के लिए 2,000 रुपये की राशि जमा करना आज्ञापक था, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत उच्च न्यायालय को उसके द्वारा मांगी गई सुरक्षा राशि को कम करने का विवेकाधिकार दिया गया हो। उच्च न्यायालय ने धारा 117 की उप-धारा (2) का उल्लेख किया जिसके तहत उच्च न्यायालय को याचिकाकर्ता को खर्चों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा राशि देने के लिए कहने का अधिकार दिया गया है, जैसा कि वह निर्देश दे सकता है। इससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि यद्यपि उच्च न्यायालय को याचिकाकर्ता को ऐसा करने के लिए कहने का अधिकार देने वाला प्रावधान है। निधि के लिए ऐसी अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो उसे याचिकाकर्ता को कोई सुरक्षा जमा करने से मुक्त करने या अधिनियम के तहत जमा की जाने वाली आवश्यक राशि को कम करने का अधिकार देता हो। हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि वह ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. हमारा स्पष्ट मत है कि अधिनियम की धारा 117 के अंतर्गत चुनाव याचिका के साथ प्रतिभूति राशि जमा न करने पर न्यायालय के पास इसे अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। अतः अपील को जुर्माने सहित खारिज किया जाता है।

12. तत्पश्चात, सर्वोच्च न्यायालय ने **एलटेमेश रीन बनाम चंदूलाल चंद्राकर एवं अन्य**[6] मामले में चरण लाल साहू (पूर्वोक्त) पर भरोसा करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"3. एकमात्र प्रश्न जो बचा है वह यह है कि अधिनियम की धारा 117 का अनुपालन न करने का क्या परिणाम होगा। यह प्रश्न चरण लाल साहू बनाम नंद किशोर भट्ट में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा सुलझाया जा चुका है जिसमें यह माना गया था कि उच्च न्यायालय के पास ऐसी चुनाव याचिका को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जिसके साथ अधिनियम की धारा 117 के प्रावधान के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान नहीं किया गया हो। अधिनियम की धारा 86(1) में प्रावधान है कि उच्च न्यायालय ऐसी चुनाव याचिका को खारिज कर देगा जो धारा 81, 82 या 117 के प्रावधानों का अनुपालन

[6] (1981) 2 SCC 689

नहीं करती है। इस मामले के दृष्टिकोण से, उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव याचिका को सरसरी तौर पर खारिज करना सही था।"

13. अधिनियम, 1951 की धारा 117 के प्रावधान नियम, 1995 के नियम 7 के प्रावधान के समरूप हैं।

14. 14. पूर्वोक्त विधि के सुस्थापित प्रस्ताव को लागू करते हुए, चुनाव याचिका प्रस्तुत करते समय ही जमानत राशि जमा कर दी जानी चाहिए। यदि चुनाव याचिका का संज्ञान नहीं लिया गया है, तो जमानत राशि जमा करने से पहले, सीमा अवधि के भीतर जमानत राशि जमा की जा सकती है। ऐसी स्थिति में, जमानत राशि जमा न करना चुनाव याचिका के लिए घातक हो जाता है। प्रस्तुत मामले में, चुनाव याचिका 15.02.2010 को दायर की गई थी और चुनाव न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता सहित प्रतिवादियों को 16.02.2010 को नोटिस जारी करके याचिका का संज्ञान लिया था। उसके एक दिन बाद जमानत राशि जमा की गई थी। इस प्रकार, यह घातक हो गया और न्यायाधिकरण के पास चुनाव याचिका को सरसरी तौर पर खारिज करने और नियम, 1995 के नियम 8 के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता (प्रतिवादी संख्या 1) के आवेदन को स्वीकार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उपरोक्त के मद्देनजर और ऊपर बताए गए कारणों से, दिनांक 05.05.2010 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/1) रद्द किया जाता है। परिणामस्वरूप, चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष दायर चुनाव याचिका भी नियम, 1995 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुपालन के अभाव में खारिज की जाती है।

16. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

17. कोई आदेश या वाद था।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated by Ananya Chatterjee